सचिका स0–7/MCH -35-19/2026-27-...162(7B)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 13/04/2026

विषय:– वित्तीय वर्ष 2026–27 में श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर में विभिन्न पाठ्यक्रमो मे पी०जी० में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू0 3,96,00,000/– (रूपये तीन करोड़ छियानवे लाख) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि विभागीय सकल्प संख्या–125(1), दिनाक–20.02.2014 एव संकल्प संख्या–776(1), दिनाक–29.11.2023 एव समय–समय पर निर्गत विभिन्न स्वास्थ्य विभागीय संकल्पो के आलोक मे वित्तीय वर्ष 2026–27 मे श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर में विभिन्न पाठ्यक्रमों मे पी०जी० मे अध्ययनरत छात्रो के छात्रवृति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू0 3,96,00,000/– (रूपये तीन करोड छियानवे लाख) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन माग स0–20 के अतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष–105–एलोपैथी, उपशीर्ष–0008–श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर विपत्र कोड–20-2210-05-105-0008 अंतर्गत छात्रवृति/वजीफा (34–01) मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर होगे एव नियत्री पदाधिकारी, क्षेत्रीय अपर निदेशक, तिरहुत प्रमडल, मुजफ्फरपुर होगे।

(4) निकासी एव व्ययन पदाधिकारी वित विभाग एव स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रो के आलोक मे राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए संबधित छात्रों को उपलब्ध करायेगे ।

(5) राशि की निकासी जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि(2), दिनाक–17.04.1998 के प्रावधानो के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

(7) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(8) प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका स०–7/MCH -35-19/2026-27 के पृष्ठ-03/टि० पर प्राप्त है।

(9) इसमें सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटित राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,
13.4.26
(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव
Alpana

ज्ञापांक– 7/MCH-35-19/2026-27- 162(7B) /स्वा0, पटना, दिनांक– 13/04/2026

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/क्षेत्रीय अपर निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्राचार्य, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07बी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.4.26.

सरकार के अपर सचिव